दिनांक : .०३.२०१९

सेवा में,

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री
भारत सरकार, नई देहली – ११००११

विषय : पेट्रोल पंपों पर वाहनों में पेट्रोल–डीजल भरने के लिए पारदर्शक नली का प्रयोग करने के संबंध में ...

महोदय,

अनेक वस्तुओं की भांति पेट्रोल–डीजल भी दैनिक जीवन के आवश्यक अंग हो गए हैं । उसमें भी, भारत के अधिकतर स्थानों के पेट्रोलपंपों पर पेट्रोल अल्प देना, मिलावटी पेट्रोल देना आदि के माध्यम से जनता को प्रतिदिन लूटा जा रहा है । आजकल सर्वसामान्य उपभोक्ताओं को प्रतिदिन ही अनेक छोटी–छोटी बातों में लूटा जा रहा है । अनेक बार तांत्रिक ज्ञान के अभाव में होनेवाली ठगी समझ में नहीं आती अथवा ठगी का पता चलने पर भी समयाभाव के कारण उपभोक्ता उसका खुलकर विरोध नहीं करते । यदि किसी ने विरोध किया भी, तो पंप–संचालक उस विरोध पर ध्यान नहीं देते । इसलिए, कुछ उपभोक्ता केवल सोशल मीडिया पर विडियो प्रसारित कर जनजागृति करते हैं । इससे प्रेरित होकर किसी उपभोक्ता ने कानून का आधार लेकर विरोध किया, तो पुलिस और नगर प्रशासन छापा मारकर अनुचित कार्य रोकने का प्रयत्न करते हैं । परंतु कुछ दिन पश्चात, वह भ्रष्टाचार पुनः आरंभ होता है । इस समस्या का स्थायी हल नहीं निकलता ।

*** इस विषय में ध्यान में आई कुछ बातें बता रहा हूं ...**

१. वर्ष २०१७ में उत्तरप्रदेश की विशेष पुलिस जांच दल ने लखनऊ के अनेक पेट्रोल पंपों पर छापा मारा था । उस समय १५७ पंपों पर मिलावट और अल्प माप का पता चला । उनमें से अनेक स्थानों पर 'माइक्रोचिप्स' और 'रिमोट कंट्रोल' का उपयोग कर माप में चोरी करने की घटना का पता लगा था ।

२. महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष २०१७ में राज्य के कुल १८६ पेट्रोल पंपों की जांच की थी । उनमें ९८ पेट्रोल पंपों पर 'डिस्पेसिंग यूनिट' में छेडछाड पाई गई । उनमें से ५९ पेट्रोल पंपों का पेट्रोल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, तो सभी में मिलावट पाई गई । इस प्रकरण का प्रतिवेदन राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा था, जिसमें ८ पेट्रोल पंपों को बंद करने की शिफारस की गई थी । इसमें ३३ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई थी ।

३. हिन्दू जनजागृति समिति की ओर से ८ से १० दिसंबर २०१७ के बीच 'सुराज्य अभियान' चलाया गया था । इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, देहली, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और बिहार राज्यों के ३५ जनपदों के ४८४ पेट्रोल पंपों पर जाकर स्थिति का अवलोकन किया गया । उस समय ग्राहकों के अधिकार, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान की ओर से बनाई गई नियमावली का पालन हो रहा है अथवा नहीं, यह जानने का प्रयास किया गया । उस निरीक्षण के समय हमें नागरिकों ठगी और असुविधाओं के विषय में अनेक बातों का पता चला । उस संबंध में हमने दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने और जनता की ठगी रोकने के लिए हिन्दू जनजागृति समिति की ओर से एक ज्ञापन भारत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय; उपभोक्ता संरक्षण; खाद्यान्न एवं औषध आपूर्ति मंत्रालय; जिला नाप–तौल नियंत्रक तथा राज्य के उपभोक्ता मंत्रालय के पास भेजा था ।

इतना सब करने के पश्चात भी सरकार ने हमें नहीं बताया कि उसने यह भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या किया है ! इससे उपभोक्ताओं के मन में असुरक्षा और अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई है । इस विषय में हम सरकार से निम्नांकित सुधारों की मांग करते हैं ।

१. एक महत्त्वपूर्ण सुधार यह है कि पेट्रोलपंपों पर वाहनों में पेट्रोल अथवा डीजल जिस काली नली से भरा जाता है, उसके स्थान पर पारदर्शक नली का प्रयोग किया जाए । इससे पता चलेगा कि नली में पेट्रोल जा रहा है अथवा केवल मशीन के आंकडे बदल रहे हैं । ईंधन जाने की गति मंद है अथवा उचित अथवा ईधन जाना रुक गया है, यह सब बातें उपभोक्ता अपनी आंखों से देख सकेंगे ।

२. उपभोक्ताओं को ठगनेवाले और मिलावट करनेवाले पंपमालिकों की अनुज्ञप्ति निरस्त करें, उनके पास दूसरे पेट्रोल पंप हों, तो उनकी भी अनुज्ञप्ति निरस्त करें; आर्थिक दंड करें । इस प्रकार के कठोर कानून की व्यवस्था 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम' में हो ।

आपका विश्वासपात्र,

हिन्दू जनजागृति समिति के लिए

(संपर्क :)